प्रेषक, **संख्या-** 17/20151115**/60-3-15-13(12)/2015**

नन्दलाल प्रसाद,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण उ0प्र0,
लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 21 मई, 2015**

विषय: रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के अन्तर्गत जिला तकनीकी प्रकोष्ठ (डी.टी.यू.) की स्थापना के लिये हार्ड वेयर क्रय करने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के पत्र संख्या- एन.आई.सी. (यू0पी0एस0यू0)/एम0एस0के0/2015/145 दिनांक 15 मई, 2015 के द्वारा उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के अन्तर्गत प्रदेश के जनपदों में जिला तकनीकी प्रकोष्ठ (डी.टी.यू.) स्थापित किये जाने हेतु हार्डवेयर के क्रय करने के लिये रू0 4,03,886/- की धनराशि की आवश्यकता बतायी गयी है। अत: प्रदेश के समस्त जनपदों (75) में जिला तकनीकी प्रकोष्ठ (डी.टी.यू.) स्थपित किये जाने हेतु हार्डवेयर को क्रय करने के लिये कुल रू0 3,02,91,450.00 की धनराशि की आवश्यकता होगी।

2. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रदेश के समस्त जनपदों में जिला तकनीकी प्रकोष्ठ (डी.टी.यू.) स्थापित किये जाने के लिये हार्डवेयर के क्रय हेतु रू0 3,02,91,450.00 (रूपये तीन करोड़ दो लाख इक्यानवे हजार चार सौ पचास मात्र) की धनराशि की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) उक्त धनराशि का व्यय एन0आई0सी0 के उपरोक्तांकित पत्र दिनांक 15.05.2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणन में अंकित कार्य मदों पर व्यय की जायेगी। डी0टी0यू0 के मैन पॉवर हेतु प्रस्तावित धनराशि की स्वीकृति पृथक से निर्गत की जायेगी।

(2) उपकरणों को क्रय किये जाने के संबंध में विद्यमान आई0टी0 तथा इलेक्ट्रानिक्स विभाग व वित्त विभाग के शासनादेशों/नियमों का अनुपालन सुनिश्चत किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों के कार्यान्वयन के लिये नहीं किया जायेगा।

(4) उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली-2015 के नियम-7(छ) के अनुसार एन.आई.सी. द्वारा निर्धारित विशिष्टयों के अनुसार जिला तकनीकी इकाई के लिये हार्डवेयर प्राप्त करने के लिये जिला संलचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में जिला मजिस्ट्रेट प्राधिकृत हैं। उक्त के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा जिला तकनीकी इकाई के लिये हार्डवेयर क्रय किया जायेगा।

(5) कोष नियमावली-2015 के उपरोक्तांकित नियम के अन्तर्गत जिला तकनीकी इकाई के लिये हार्डवेयर क्रय करने हेतु निदेशालय के माध्यम से जिलाधिकारियों को अपेक्षित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय/शासन को वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रस्तर 359 एफ के अनुसार दिनांक 31.03.2016 तक उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-आयोजनेत्तर-103-महिला कल्याण-10-उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष-42-अन्य व्यय"के नामे डाला जायेगा।

4- ये आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(नन्दलाल प्रसाद)

उप सचिव।

संख्या-1115(1)/60-3-15, तद्यदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकर, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ।

3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कार्पारेशन लि0 (यूपीडेस्को) लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्रूाण, उ0प्र0, लखनऊ।

6- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3

8-कोष कार्यालय को कोष की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

9- कम्प्यूटर सेल, निदेशालय, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)

उप सचिव।